

Reference No.

/SIDC/

Dated

—: कार्यालय आदेश :—

निगम के निदेशक मण्डल की 29/वीं की बैठक में निगम द्वारा किसी विशिष्ट इकाई हेतु अधिग्रहीत/आवृत्त अदिकसित बल्क भूमि जो किसी विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र का भाग नहीं है, के हस्तान्तरण की नीति पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

1. ऐसे प्रकरणों में भूमि की वर्तमान प्रीमियम दर का निर्धारण भूमि की वर्तमान प्रीमियम दर निर्धारित करने के लिये प्ररनगत भूमि में सम्मिलित विभिन्न ग्रामों की भूमि के क्षेत्रफल एवं सम्बन्धित ग्रामों की भूमि हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान औद्योगिक सर्किल दरों के आधार पर भूमि का वेटेड एवरेज दर निकाला जाएगा तथा उक्त वेटेड एवरेज दर ही प्ररनगत भूमि की वर्तमान प्रीमियम दर मानी जाएगी।
2. ऐसे प्रकरणों में देय हस्तान्तरण लेवी की दर उपरोक्तानुसार निर्धारित वर्तमान प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर होगी।
3. प्रस्तावित हस्तान्तरणी को इकाई की स्थापना एवं उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु समय पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 671-74/एसआईडीसी-आईए-पालिस्ती वाल्यूम-17 दिनांक 14.6.17 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2881-B3/एसआईडीसी-आईए-POLICY VOLL-17 दि. 24-11-17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्ष०), मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक